कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।

पत्रांक– 644 /14-1 ,बुलन्दशहर, दिनांक, 31 /8/ , 2021

सेवा में,

डिप्टी जनरल मैनेजर,
हिन्दुस्तान पट्रोलियम कारपोरेशन लि0,
85 / 4, इस्पात भवन, तृतीय मंजिल,
संजय प्लेस, आगरा।

विषयः– दिल्ली–कानपुर मार्ग किमी0 60 (चैनेज 59.180) ग्राम लालपुर में हिन्दुस्तान पट्रोलियम कारपोरेशन लि0, के रिटेल आउटलेट के निर्माण से मार्ग पटरी की 0.1689244 है0 संरक्षित वन भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र सं0 ईएनजीजी / डीएफओ / बुलन्दशहर–01 दिनांक 09.06.2021 ।

महोदय,

आपके द्वारा दिल्ली–कानपुर मार्ग किमी0 60 में ग्राम लालपुर में हिन्दुस्तान पट्रोलियम कारपोरेशन लि0 के रिटेल आउटलेट के निर्माण से मार्ग पटरी की 0.1689244 है0 संरक्षित वन भूमि के उपयोग हेतु भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव भेजे है वह प्रस्ताव अपूर्ण है।

अतः आपको भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के पत्र सं0 11 / मिस0 / 618 / 2016–17 / यू0पी0 / राज0 / दिल्ली / ।।। / 37 दिनांक 23.06.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, लखनऊ के पत्र सं0 17 / 11सी दिनांक 04.07.2017 के साथ संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव में संलग्न होने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र को लगाने हेतु 42 बिन्दुओं की सूची एवं प्रस्ताव में आमतौर पर पायी जाने वाली कमियों / त्रुटियों के सम्बन्ध में 34 बिन्दु की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है कि आप इन बिन्दुओं का भली भॉति अध्ययन कर चैकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराकर प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 338 / 11–सी दिनांक 29.07.2021 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावों की हार्ड कापी एवं उसकी सॉफ्ट कापी (पी0डी0एफ0) पेनड्राईव सहित उपलब्ध कराये जाने के हेतु लिखा है।

अतः आप प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ तक की पी0डी0एफ0 फाईल पेन ड्राईव में पॉच प्रतियों में उपलब्ध करायें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।